

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

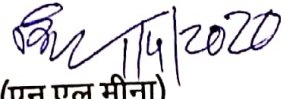
क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर दिनांक 01.04.2020

आदेश

विषय :- भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी दिनांक 24.03.2020 द्वारा घोषित लॉकडाउन।

इस विभाग की समसंख्यक अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 31.03.2020 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि लॉकडाउन अवधि में न्यायिक अधिकारी एवं न्यायालय स्टॉफ को अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से न्यायालय एवं न्यायालय से निवास आने जाने की अनुमति रहेगी। अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर अलग से अनुमति एवं पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

  
(एन.एल.मीना)  
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

  
01/04/2020  
विशिष्ट शासन सचिव